वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों∕निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2009, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2009 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग 117658.85 करोड़ रुपए और 113334.75 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2009 were Rs. 117658.85 crores and Rs.113334.75 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

- I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान गारंटीकत अधिकतम राशि | वर्ष के आरंभ में बकाया | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के | | े के दौरान भी गई | वर्ष के अंत में बकाया | | कमीशन वा फीस | अन्य तात्विक ब्योरे |
|--|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|----------------------|---|--|
| Name of Ministry | Maximum Amount Guaranteed during the year | Outstanding at the beginning of the year | Additions during the year | अलावा) Deletion during the year (Other than invoked | | d during e year अननुमोचित Not | Outstanding at the end of the year | Com oı प्राप्य | nrantee mission : Fee प्राप्त की ग | • |
| | | | | during the year) | | Discharged | | Receivable | Received | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Cooperation | 521.82 (14) | 521.82 (14) | | 0.16 (7) | _ | _ | 521.66 (7) | 0.05 | , | करोड़ रुपयों में) crore of rupees) — |
| वस्त्र मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF TEXTILES | 1780.85 | 1031.50 | 749.35 | 1249.35 | _ | _ | 531.50 | 5.30 | 2.00 | _ |
| | (6) | (4) | (2) | (3) | | | (3) | | | |

| वित्त मंत्रालय — | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------|-------|---|---|----------|-------|------|---|
| MINISTRY OF FINANCE — | | | | | | | | | | |
| आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of Economic Affairs | 58.69 | 58.69 | _ | 1.58 | _ | _ | 57.11 | _ | _ | |
| | (2) | (2) | | | | | (2) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वि | तरण मंत्रालय | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF CONSUMER | | | | | | | | | | |
| AFFAIRS, FOOD AND | | | | | | | | | | |
| PUBLIC DISTRIBUTION | 34495.04 | 34495.04 | _ | 0.02 | _ | _ | 34495.02 | _ | _ | _ |
| | (3) | (3) | | | | | (3) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF COMMERCE AN | IDINDUST | RY — | | | | | | | | |
| भारी उद्योग विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of Heavy Industries | | 600.27 | 22.61 | _ | | _ | 622.88 | 6.90 | 0.13 | |
| | (22) | (19) | (3) | | | | (22) | | | |
| कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, | | | | | | | | | | |
| खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF AGRO & RURAL | | | | | | | | | | |
| INDUSTRIES, KHADI & VILLAC | | | | | | | | | | |
| INDUSTRIES COMMISSION | 310.10 | 310.10 | _ | 10.10 | | _ | 300.00 | 51.58 | | |
| | (1) | (1) | | | | | (1) | | | |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय— | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF CHEMICALS | | | | | | | | | | |
| AND FERTILISERS— | | | | | | | | | | |
| रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of Chemicals and | | | | | | | | | | |
| Petrochemicals | 994.95 | 979.23 | 15.72 | _ | _ | _ | 994.95 | 49.79 | | _ |
| | (6) | (6) | | | | | (6) | | | |

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष के | | के दौरान | वर्ष के | | कमीशन | अन्य |
|---|-----------------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| | गारंटीकत | आरंभ में | दौरान | दौरान | मां | गी गई | अंत में | अथव | ा फीस | तात्विक |
| | अधिकतम | बकाया | परिवर्धन | विलोपन | | | बकाया | | | ब्योरे |
| | राशि | | | (वर्ष के दौरान | | | | | | |
| | | | | ्याचित के | | | | | | |
| | | | | अलावा) | | | | | | |
| Name of Ministry | Maximum | Outstanding | Additions | Deletion | Invoke | d during | Outstanding | | rantee | Other material |
| | Amount | at the | during the | during the | the | year | at the | | mission | details |
| | | beginning of | year | year | | | end of | or | Fee | |
| | during the year | the year | | (Other than | उन्मोचित | अननुमोचित | the year | | | |
| | year | | | | | Not | | प्राप्य | प्राप्त की गइ | 2 |
| | | | | invoked during the | Discharged | Discharged | | Receivable | Received | |
| | | | | year) | | Discharged | | Receivable | Received | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | (* | करोड़ रुपयों में) |
| | | | | | | | | | , | crore of rupees) |
| इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | | | • |
| MINISTRY OF STEEL | 195.00 | 195.00 | _ | _ | _ | _ | 195.00 | 1.95 | 1.95 | _ |
| | (4) | (4) | | | | | (4) | | | |
| जहाजरानी मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF SHIPPING | 255.46 | 255.46 | _ | _ | _ | _ | 255.46 | 68.53 | 8.66 | _ |
| | (1) | (1) | | | | | (1) | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF URBAN | | | | | | | | | | |
| DEVELOPMENT | 28.00 | 28.00 | _ | 28.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | (3) | (3) | | (3) | | | | | | |
| The single size of | | | | | | | | | | |
| जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.06 | | |
| RESOURCES | _ | | | _ | _ | | | 5.06 | | _ |

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

| corporations and financial is | nstitutions: - | _ | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|--------|---------|---|---|---------|-------|-------|---|
| कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE- कृषि और सहकारिता विभाग | _ | | | | | | | | | |
| Department of Agriculture and | | | | | | | | | | |
| Cooperation | 303.18 | 303.18 | _ | 77.00 | _ | _ | 226.18 | _ | _ | _ |
| | (8) | (8) | | (2) | | | (6) | | | |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AN FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | ND | | | | | | | | | |
| Department of Chemicals and | | | | | | | | | | |
| Petro Chemicals | 100.00 | 100.00 | _ | _ | _ | _ | 100.00 | 2.00 | 2.00 | _ |
| | (1) | (1) | | | | | (1) | | | |
| विद्युत मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF POWER | 516.66 | 516.66 | _ | 133.58 | _ | _ | 383.08 | 0.64 | 0.64 | _ |
| | (16) | (16) | | (4) | | | (12) | | | |
| वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of | 8700.76 | 8500.76 | 200.00 | 3641.44 | _ | _ | 5059.32 | 13.61 | 13.61 | _ |
| Economic Affairs | (73) | (72) | (1) | (33) | | | (40) | | | |

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान गारंटीकत अधिकतम राशि | वर्ष के आरंभ में बकाया | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान | मां | िके दौरान गी गई | वर्ष के अंत में बकाया | | कमीशन ा फीस | अन्य तात्विक ब्योरे |
|--|---|---|------------------------------|--|------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Name of Ministry | Maximum Amount Guaranteed during the year | Outstanding at the beginning of the year | Additions during the year | याचित के अलावा) Deletion during the year (Other than | | d during e year अननुमोचित | Outstanding at the end of the year | Com | rantee mission Fee | Other material details |
| | year | | | invoked during the year) | Discharged | Not Discharged | | प्राप्य Receivable | प्राप्त की गई Received | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE A | ND INDUSTI | RY— | | | | | | | , | नरोड़ रुपयों में) crore of rupees) |
| भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry | 525.98 (8) | 525.98 (8) | _ | 261.99 (3) | _ | _ | 263.99 (5) | _ | _ | _ |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION | 8679.52 (16) | 8679.52 (16) | _ | — | _ | _ | 8679.52 (16) | _ | _ | _ |
| रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS | 134.08 | 134.08 | | | | | 134.08 | 1.34 | 1.34 | |
| WIINISTRY OF KAILWAYS | (4) | (4) | _ | _ | _ | _ | (4) | 1.34 | 1.34 | _ |

| इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|------|---|---|--------|-------|------|---|
| MINISTRY OF STEEL | 448.40 | 448.40 | _ | _ | _ | _ | 448.40 | 4.48 | 4.48 | _ |
| | (3) | (3) | | | | | (3) | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN | | | | | | | | | | |
| DEVELOPMENT | 320.90 | 320.90 | _ | 6.46 | _ | _ | 314.44 | 0.41 | 0.41 | _ |
| | (12) | (12) | | (1) | | | (11) | | | |
| संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICAT AND INFORMATION TECHNO | | | | | | | | | | |
| दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS | 409.00 | 409.00 | _ | _ | _ | _ | 409.00 | 46.28 | _ | _ |
| | (4) | (4) | | | | | (4) | | | |

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/ वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और निम्नलिखित कम्पिनयों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की पूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गार्रिटयां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

| नागर विमानन मंत्रालय | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|---------|--------|---|---|---------|-------|-------|---|
| MINISTRY OF CIVIL AVIAT | TION 9598.24 | 6142.87 | 3455.37 | 164.82 | _ | _ | 9433.42 | 51.33 | 51.33 | _ |
| | (10) | (8) | (2) | | | | (10) | | | |
| कोयला मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF COAL | 2247.36 | 2203.85 | 43.51 | 176.07 | _ | _ | 2071.29 | 28.65 | 25.34 | |
| | (5) | (5) | | | | | (5) | | | |

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान गारंटीक्त अधिकतम राशि | वर्ष के आरंभ में बकाया | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के | मां | िके दौरान गी गई | वर्ष के अंत में बकाया | | कमीशन ॥ फीस | अन्य तात्विक ब्योरे |
|---|---|---|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Name of Ministry | Maximum Amount Guaranteed during the year | Outstanding at the beginning of the year | Additions during the year | अलावा) Deletion during the year (Other than | | d during e year अननुमोचित | Outstanding at the end of the year | Comi | rantee mission Fee | Other material details |
| | year | | | invoked during the | Discharged | Not Discharge | | प्राप्य Receivable | प्राप्त की गई Received | ` |
| 1 | 2 | 3 | 4 | year) 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | , | करोड़ रुपयों में) crore of rupees) |
| विद्युत मंत्रालय | | | | | | | | | | 1 |
| MINISTRY OF POWER | 14985.34 (44) | 12481.57 (39) | 2503.77 (5) | 1099.98 (2) | _ | _ | *17175.85 (42) | 136.89 | 136.89 | _ |
| वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of | 28539.96 | 23076.45 | 5463.51 | 794.86 | _ | _ | *28036.87 | 27.12 | 27.12 | _ |
| Economic Affairs | (84) | (66) | (18) | (3) | | | (81) | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE A | ND INDUST | RY— | | | | | | | | |
| लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग Department of Small Scale Indu | | | | | | | | | | |
| & Agro-Rural Industries | 69.67 | 64.30 | 5.37 | 2.36 | _ | _ | 67.31 | 1.29 | 0.41 | _ |
| | (3) | (3) | | | | | (3) | | | |

| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY | 735.91 (3) | 602.74 | 133.17 | 51.38 | _ | _ | 684.53 (3) | 7.05 | 7.05 | _ |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF STEEL | 515.65 | 515.65 | _ | 10.38 | _ | _ | *528.50 | 1.17 | 1.17 | _ |
| | (3) | (3) | | | | | (3) | | | |
| खान मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF MINES | 162.50 | 162.50 | _ | 162.50 | _ | _ | _ | 1.13 | 1.13 | _ |
| | (1) | (1) | | (1) | | | | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF URBAN | | | | | | | | | | |
| DEVELOPMENT | 755.09 | 588.48 | 166.61 | 40.66 | _ | _ | 714.43 | 4.92 | 4.92 | _ |
| | (2) | (2) | | | | | (2) | | | |
| (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा | उधार के आधार | पर की गई पूर्ति | पों∕दी गई सेवाओ | ां के लिए निम्नलि | खित कंपनियों/नि | गमों द्वारा जारी | किए गए प्राधिकार | पत्र के सम्बन्ध मे | में बैंकों को दी ग | ई प्रति-गारंटियां: |

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:-

| इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|-------|------|---|
| MINISTRY OF STEEL | 620.36 | 620.36 | _ | _ | _ | _ | 620.36 | 33.04 | 6.20 | _ |
| | (9) | (9) | | | | | (9) | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

| Department of Heavy Industry | 27.50 | _ | 27.50 | 16.90 | _ | _ | 10.60 | _ | _ | _ |
|------------------------------|-------|---|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|
| | (2) | | (2) | (1) | | | (1) | | | |

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतू रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डी को दी गई गारंटियां:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— भून्य / NIL —

विदेश विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण विद्युत मंत्रालय के लिए 3290.49 करोड़ रु., वित्त मंत्रालय के लिए 291.77 करोड़ रु. और इस्पात मंत्रालय के लिए 23.23 करोड़ रु. का अंतर था।

^{*} Difference due to variation in foreign exchange rates for Rs.3290.49 crores in respect of Ministry of Power, Rs. 291.77 crores in respect of Ministry of Finance and Rs.23.23 crores in respect of Ministry of Steel.

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*समाप्त*

| Nο | 4-GUARA | NTEES | GIVEN R | V THE | UNION | COVER | MENT. | -Concld |
|------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|-------------|----------|
| 110. | 4-GUANA | TILLES | GIVEND | 1 1111 | UNIUN | GUYEN | ATATE I I - | -concia. |

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान गारंटीकत अधिकतम | वर्ष के आरंभ में बकाया | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान विलोपन | | िके दौरान ांगी गई | वर्ष के अंत में बकाया | | कमीशन ग फीस | अन्य तात्विक ब्योरे |
|---|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | राशि | | | (वर्ष के दौरान याचित के अलावा) | | | | | | |
| Name of Ministry | Maximum Amount Guaranteed during the year | Outstanding at the beginning of the year | Additions during the year | Deletion during the year (Other than | Invoked during the year उन्मोचित अननुमोचित | | Outstanding at the end of the year | Com | rantee mission Fee | Other material details |
| | J | | | invoked during the year) | Discharged | Not Discharged | | प्राप्य Receivable | प्राप्त की गई Received | Ê |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | ` | करोड़ रुपयों में) crore of rupees) |
| (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: — | | | | | | | | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.50 | _ | _ |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE . भारी उद्योग विभाग | | RY— | | | | | | 0.17 | | |
| Department of Heavy Industry | У | | _ | | _ | _ | _ | 0.17 | _ | _ |
| (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:- | | | | | | | | | | |

— शून्य / NIL —